छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा द्वादश सत्र अंक-24

रायपुर, गुरूवार, दिनांक 21 मार्च, 2013

(फाल्गुन-30, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1.प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 03, 05 से 07, 09 से 11, 13 एवं 14 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्न संख्या 04, 08 एवं 12 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः श्री राजू सिंह ठाकुर, डॉ.शक्राजीत नायक एवं डॉ.शिवकुमार डहरिया अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 18 तारांकित एवं 30 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. वक्तव्य

उपेन्द्र सिंह उर्फ रमेश सिंह की गिरफ्तारी के संबंध में

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने उपेन्द्र सिंह उर्फ रमेश सिंह की गिरफ्तारी के संबंध में वक्तव्य दिया।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने प्रतिक्रिया व्यक्त की।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए),

(ii) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2012-2013 के बजट की तृतीय तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा, तथा

(2) श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 43 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2011-12 (दिनांक 1 जुलाई, 2011 से 30 जून, 2012) **पटल पर रखे।**

4. पृच्छा

श्री मोहम्मद अकबर एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा हसदेव बैराज, जल संसाधन संभाग कोरबा द्वारा दांई तट सड़क निर्माण हेतु नियम विरूद्ध अनुमति दिये जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि आपकी बात शासन के ध्यान में आ गई है। यह मामला बहुत पुराना है तथा स्थगन का विषय नहीं है, इसलिए स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया है।

5. बहिर्गमन

श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन की ओर से वक्तव्य न आने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

6. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री ताम्रध्वज साहू, सदस्य ने बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सड़कों की स्थिति अत्यंत खराब होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने छत्तीसगढ़ सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा गोदाम निर्माण हेतु आमंत्रित निविदा में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) डॉ.शक्राजीत नायक
(2) श्री देवजी पटेल
(3) श्री मोहम्मद अकबर
(4) श्री भीमा मंडावी
(5) श्रीमती अंबिका मरकाम

8. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है:-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च, 2013 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प क्रं.	*सदस्य का नाम*	*समय*
1. (क्रमांक - 16)	श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह	30 मिनट
2. (क्रमांक - 24)	श्री देवजी पटेल	30 मिनट
3. (क्रमांक - 29)	श्री दीपक कुमार पटेल	30 मिनट
4. (क्रमांक - 30)	श्रीमती अंबिका मरकाम	30 मिनट
5. (क्रमांक - 31)	श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर	30 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 (क्रमांक 10 सन् 2013)

श्री रामविचार नेताम, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 (क्रमांक 10 सन् 2013) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

डॉ.शक्राजीत नायक, सर्वश्री फूलचंद सिंह, परेश बागबाहरा।

श्री रामविचार नेताम, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 39 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री रामविचार नेताम, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 (क्रमांक 10 सन् 2013) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

(1.32 से 3.03 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

(2) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 11 सन् 2013)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 11 सन् 2013) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री विरेन्द्र कुमार साहू।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 7 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 11 सन् 2013) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(3) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 12 सन् 2013)

श्री रामविचार नेताम, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 12 सन् 2013) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री देवजी पटेल।

श्री रामविचार नेताम, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री रामविचार नेताम, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 12 सन् 2013) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

(4) दंड विधि (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 13 सन् 2013)

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दंड विधि (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 13 सन् 2013) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री दीपक कुमार पटेल, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्री दूजराम बौद्ध, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

डॉ.हरिदास भारद्वाज।

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 14 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दंड विधि (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 13 सन् 2013) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

(5) छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार विधेयक, 2013 (क्रमांक 14 सन् 2013)

श्री रामविचार नेताम, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार विधेयक, 2013 (क्रमांक 14 सन् 2013) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ.हरिदास भारद्वाज, सर्वश्री विरेन्द्र कुमार साहू, अग्नि चंद्राकर, दीपक कुमार पटेल, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

श्री रामविचार नेताम, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची में दर्ज कार्य पूर्ण होने तक
सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 27 तथा अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री रामविचार नेताम, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार विधेयक, 2013 (क्रमांक 14 सन् 2013) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

सायं 5.51 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनाँक 22 मार्च, 2013 (चैत्र-1, शक संवत् 1935) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा